

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

श्री नेमीचंद पुत्र श्री रायचंद जी जैन
जाति जैन
निवासी जैन धर्मशाला के पास सिरौही रोड
तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही
किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

मुकदमा नं. 4 वर्ष 2019

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
22.05.2019	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 25.3.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पंचायत निगरानी संख्या/7/2008 एवं पारित निर्णय दिनांक 3.11.2008 में श्री कपूरचंद एवं ग्राम पंचायत कालन्दी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि की से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 25.3.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पंचायत निगरानी संख्या/7/2008 एवं पारित निर्णय दिनांक 3.11.2008 में श्री कपूरचंद एवं ग्राम पंचायत कालन्दी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हें निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एडीएम सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरौही